न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./16/2024

1. जुबैदा पत्नी सायर जाति मेहरात निवासी जालखेड़ा तहसील मसूदा जिला ब्यावर

प्रार्थीयां

बनाम

1. काना पुत्र घीसा जाति गुर्जर निवासी अमरगढ़ तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. हीरा पुत्र अन्ना जाति गुर्जर निवासी चावण्डियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
3. रामचन्द्र पुत्र प्रताप जाति दरोगा निवासी अमरगढ़ तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. गोपाल पुत्र प्रताप जाति दरोगा निवासी अमरगढ़ तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. शिवराज पुत्र हगामा जाति दरोगा निवासी अमरगढ़ तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–24.05.2024

उपस्थितः– 1. वकील प्रार्थी– श्री गजानन्द सिंह रावत
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा अमरगढ़ पटवार क्षेत्र रूपपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 392 में दर्ज खसरा नं. 230 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.19, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.16 और खसरा नम्बर 251 रकबा 0.21 कुल किता 04 कुल रकबा 0.97 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 06 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 03 लगायत 05 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 तथा 03 लगायत 05 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता श्री गजानन्द सिहं रावत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 का नाम पत्रावाली से विलोपित करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 में पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 02 का नाम पत्रावाली से विलोपित किया जाकर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम अमरगढ़ के खाता संख्या 392 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा अमरगढ़ पटवार क्षेत्र रूपपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 392 में दर्ज खसरा नं. 230 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.19, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.16 और खसरा नम्बर 251 रकबा 0.21 कुल किता 04 कुल रकबा 0.97 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)